[श्री राम नरेश कुशवाहा]

पहले अंजित किये गये प्रस्ताव में इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, इसमें आर्थिक स्थिति की दुहाई दी गई है। विकास प्राधिकरण में जितना भ्रष्टाचार है और जितनी फजूलखर्ची है उसका कहीं जिक्र नहीं है। मेरी सूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री भी उतने ठाठ-बाठ से नहीं रहता है जितने ठाठ-बाट से इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रहता है। गाजियाबाद में सारी सुविधाओं के रहते हुए भी वह दिल्ली में रहता है और सारा दफ्तर दिल्ली आता-जाता रहता है जिसमें तमाम फजूलखर्ची होती है। भ्रष्टाचार इतना है कि कागज में सारे प्लाट आवंटित हो गये हैं लेकिन मुंह मांगा पैसा मिल जाए तो कहीं भी जो चाहें प्लाट मिल सकता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर में कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इतना ज्यादा पैसा इनके पास है लेकिन किसानों के लिए पैसा नहीं है उनसे डेढ़-दो रुपये गज जमीन लेकर 8-8, 9-9 हजार रुपये गज पर वहां जमीन दी जा रही है। इतना मुनाफा होने के बाद भी किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। उनको लूटने के लिए संशोधन करने का सुझाव एक आई० ए० एस० अधिकारी सार्वजनिक रूप से देता है। सरकार को गोपनीय तरीके से नहीं, सार्वजनिक रूप से यह किताब छापकर बांटी जाती है। सीधे-सीधे कानून की अवमानना है, कानून से बचने की तरकीब है। केन्द्रीय कानून है इस पर तो विशेषाधिकार हनन का अपराध बन सकता है। श्रीमन्, आप सभी लोग कानून के जानकार हैं, मैं पूरे सदन के सामने आपसे कह रहा हूं कि सरकारी अधिकारी का काम कानून का पालन कराना है और विचार स्वातंत्र्य तो है लेकिन जिस कानून के पालन की जिम्मेदारी उसी पर है, उसी के खिलाफ सार्वजनिक प्रचार करने का अधिकार उसी को नहीं है, गोपनीय अपने विचार सरकार को भले दे। यह सरकारी अधिकारियों की आचरण संहिता के भी प्रतिकूल है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों से डेढ़-डेढ़, दो-दो रुपये गज में जमीन ले करके उनको उजाड़ दिया जाता है। यानी जिनकी जमीन ली गयी है उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिली है। लेकिन इन्होंने तमाम तरह के नेताओं को जो इनका पालन पोषण करते हैं और इनके कुकर्मों में साथ देते हैं उन सबको प्लाट दे रखा है और एक-एक आदमी को 5-5 प्लाट दे दिया है। एक दल के अध्यक्ष को 5 प्लाट दे दिये हैं ताकि उनके सारे कुकर्मों को पचा सकें। जहां तक मुझे जानकारी है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी इस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सामने असहाय हैं। कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। तो मान्यवर मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह सदन और माननीय मंत्री जी इस मामले में जांच करायें और इस अधिकारी के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार हैं उनके लिए सी० बी० आई० की जांच करायें क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को लूटने का धंधा अनवरत चल रहा है, भ्रष्टाचार में सरोबार है और उसको पचाने वाले दिल्ली में हैं। ये दिल्ली में रह करके सारे लोगों को ओब्लाइज करते हैं और ओब्लाइज करके अपने सारे कुकर्मों पर पर्दा डलवाते हैं और इसका असर इस हद तक हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मामले में असमर्थ है। तो मैं आपसे सहायता चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे और इस पर अंकुश लगाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, माननीय राम नरेश कुशवाहा जी ने जो विचार रखे हैं मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं। हालात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बेइंतिहा खराब हैं और सब कुछ अवमानना, अवहेलना रूल्स की भी कर रहे हैं।

REFERENCE TO THE NEED TO DECLARE CERTAIN AREAS IN MADHYA PRADESH AS HILLY AREAS

श्री केशव प्रसाद शुक्ल (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस सदन में लोक महत्व के विषय में विशेष उल्लेख करने के लिए मुझे अनुमति दी।

श्रीमन्, देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण गम्भीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भूस्खलन, बाढ़, भूक्षरण आदि के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन-यापन करना बहुत कठिन हो गया है। उनके लिए अनाज, चारा, पानी ईंधन इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। इन क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित कर केन्द्र द्वारा विशेष आर्थिक सहायता देकर उनका आर्थिक विकास करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिमी बंगाल, तामिलनाडु तथा पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र कर्नाटक तथा गोवा के पर्वतीय क्षेत्रों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल तथा सतपुड़ा की पर्वतीय श्रेणियां हैं। वहां पर भी इसी तरह की परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित करना उचित होगा। इन पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को भ यहां की वन सम्पदा तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तरह कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इन पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित कर विशेष आर्थिक सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है किन्तु अभी तक इस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित कर वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की कृपा करें।

REFERENCE TO THE SUPPLY OF ARMS TO PAKISTAN BY SWITZERLAND.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU (Bihar): Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to raise this Special Mention.

The matter of supply of sophisticated arms to Pakistan has been a subject matter of serious concern and in the same context, I would like to draw the attention of the House as this being a matter of Urgent Importance.

Sir, Pakistan has been given a consignment of sophisticated arms worth 26 million Swiss francs by Switzerland during the first ten months of this year, 1986. Our Government should if they have not already done so, take up the matter with Switzerland as India has got good relations with that country. This is a new source of arms supply to Pakistan. I would request that the Government should take the country into confidence and share whatever knowledge it has with Parliament. Thank you.

THE DELHI APARTMENT OWNERSHIP BILL, 1986

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): Mr Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill to provide for the ownership of an individual apartment in a multi-storeyed building and of an undivided interest in the common areas and facilities appurtenant to such apartment and to make such apartment and interest heritable and transferable and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by the Lok Sabha, be taken into consderation."